

प्रेषक,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अलीगढ़।

सेवा में,
मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक—मु०चि०अ०/एन०एच०एम०/अनुबन्धित वाहन/ 2017-18/

दिनांक—18.12.2017

विषय— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अनुबन्धित किये गये वाहनों की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम०एण्ड०ई०/2017-18/4664-75 दिनांक 11.08.2017 के क्रम में अनुबन्धित वाहनों की वांछित सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अलीगढ़।
तददिनांक

पत्रांक—मु०चि०अ०/एन०एच०एम०/अनुबन्धित वाहन/ 2017-18/
प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—


1. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
2. महाप्रबन्धक एम०एण्ड०ई० एस०पी०एम०यू०, लखनऊ।
3. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक एन०एच०एम०, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
4. जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक एन०एच०एम०, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अलीगढ़।


updated

Supportive Supervision Vehicle Hiring – District level information 2017 - 18

No.	Name of the District	Name of Agreement Signing officer	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle No-2	Date of Hiring	Agreement Copy Attached
1	Aligarh	C.M.O. Aligarh	UP 81 AX 3760	16 May 2017	UP 16 BT 3516	16 May 2017	Yes


Chief Medical Officer
Aligarh

Supportive Supervision Vehicle Hiring – Block wise information 2017 - 18						
S.No.	Name of the Division	Name of District	Block Name	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Aligarh	Aligarh	Chandaus	UP16 DT 9495	16 May 2017	Yes
2	Aligarh	Aligarh	Khair	UP16 ET 2818	16 May 2017	Yes
3	Aligarh	Aligarh	Lodha	UP 81 BT 1815	16 May 2017	Yes
4	Aligarh	Aligarh	Jawan	UP 81 BT 3146	16 May 2017	Yes
5	Aligarh	Aligarh	Atroli	UP 81 BT 3468	16 May 2017	Yes
6	Aligarh	Aligarh	Harduaganj	UP 13 AR 8261	16 May 2017	Yes
7	Aligarh	Aligarh	Akrabad	UP 86 T 2789	16 May 2017	Yes
8	Aligarh	Aligarh	Gonda	UP 81 AF 9429	16 May 2017	Yes
9	Aligarh	Aligarh	Chharra	UP 81 BT 1533	16 May 2017	Yes
10	Aligarh	Aligarh	Iglas	HR 55 S 1628	16 May 2017	Yes
11	Aligarh	Aligarh	Tappal	UP 81 AF 9142	16 May 2017	Yes
12	Aligarh	Aligarh	Bijoli	UP 86 T 2343	16 May 2017	Yes



Chief Medical Officer
Aligarh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबंध पत्र

DK 362279

प्रथम पक्ष— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, स्वास्थ्य समिति, अलीगढ़।

द्वितीय पक्ष— श्री डालचन्द, मै0 भारत ट्रैवलिंग एजेंसी, मानिक चौक, अलीगढ़। (सेवा प्रदाता)

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, अलीगढ़ द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम" के संचालन के लिये वाहन उपलब्ध कराने हेतु किया गया। इस अनुबंध की अवधि 01 मई 2017 से 31 मार्च 2018 तक अथवा अगली निविदा होने तक होगी।

द्वितीय पक्षकार श्री डालचन्द, मै0 भारत ट्रैवलिंग एजेंसी, मानिक चौक, अलीगढ़। (सेवा प्रदाता) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु मिशन निदेशक के पत्र संख्या— एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2016-17/01/5487-75, दिनांक— 13.09.2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपद के समस्त ब्लॉकों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रति ब्लॉक 01(एक) एवं जनपद मुख्यालय पर 02(दो) वाहन उपलब्ध करायेगा। द्वितीय पक्षकार को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा—

- 1- द्वितीय पक्षकार को अनुबंध किये जाने के एक सप्ताह के अन्दर जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।
- 2- द्वितीय पक्षकार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये वाहन को बदलने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 3- द्वितीय पक्षकार को वाहन माह में न्यूनतम 25 दिन हेतु तथा वाहन टैक्सी परमिट, ईंधन, वाहन चालक एवं जी0पी0एस0 नेवीगेशन सुविधा सहित उपलब्ध कराना होगा, जिस हेतु उसे प्रति वाहन प्रतिमाह रू0 29800-00 (सभी कर सहित) देय होगा। वाहन में न्यूनतम 04(चार) व्यक्तियों के सुगमता से बैठने हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिये।
- 4- द्वितीय पक्ष को वाहन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/इकाई पर प्रतिदिन 08 घण्टा अथवा चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी के निर्देश अनुसार उपलब्ध कराना होगा।
- 5- वाहन का आवश्यक रख-रखाव, साफ-सफाई एवं 24 घण्टे चालू हालत में रखने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा। नियमित जाँच/वाहन की सर्विस हेतु वर्क्सशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार द्वारा वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा जिसकी सूचना नियंत्रक अधिकारी को एक दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार पर रू0 1000-00(रू0 एक हजार मात्र) प्रतिदिन प्रतिवाहन की दर से अर्थदण्ड आधिरोपित करने का अधिकार होगा। वाहन की छोटी टूट-फूट की मरम्मत द्वितीय पक्षकार को 24 घण्टे में कराना होगी।
- 6- वाहन एवं वाहन चालक के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना, वाहन पंजीकरण संख्या, टैक्सी परमिट संख्या/वैधता, वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर द्वितीय पक्षकार को अनुबंध के एक सप्ताह के अन्दर प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

रू0 73500

Shankar

7- उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक के पास वैध वाहन चालन लाईसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्षकार को यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक द्वारा प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रण अधिकारी के निर्देशों का पालन किया जायेगा एवं वाहन चालक द्वारा नशे की हालत में वाहन चालन नहीं किया जायेगा, ऐसा पाये जाने पर अथवा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर बंधक राशि को जब्त कर तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने एवं फर्म को ब्लैक लिस्टेड घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा। प्रथम पक्ष पर द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये वाहन चालक का कोई विधिक दायित्व नहीं होगा।

8- पर्यवेक्षण दल/अधिकारी को वाहन के प्रयोग के समय किसी भी प्रकार की हानि के लिये सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, किसी भी दशा में प्रथम पक्ष का इस हेतु कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9- द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन के सापेक्ष भुगतान निर्धारित देयक प्रपत्र/बिल पर वाहन संख्या विवरण तथा लॉग-बुक की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख को प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 कार्य दिवस के अन्दर(बजट उपलब्ध होने की दशा में) अर्थात् प्रत्येक माह की 15वीं तारीख तक किया जायेगा।

10- द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन सेवा संतोषजनक प्रदान नहीं किये जाने पर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

11- यह अनुबंध शासन द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में अथवा उल्लिखित शर्तों के पालन नहीं किये जाने पर अनुबंध अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है।

स्थान- अलीगढ़।

दिनांक- , 2017

हस्ताक्षर..... *Luada* (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर..... *STW 213* (द्वितीय पक्ष)

साक्षीगण-

नाम- *शजीव कुमार* हस्ताक्षर..... *[Signature]*

नाम- *राहुल गौड़* हस्ताक्षर..... *[Signature]*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबंध पत्र

DK 362279

प्रथम पक्ष- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, स्वास्थ्य समिति, अलीगढ़।

द्वितीय पक्ष- श्री डालचन्द, मै0 भारत ट्रेवलिंग एजेंसी, मानिक चौक, अलीगढ़।(सेवा प्रदाता)

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, अलीगढ़ द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम" के संचालन के लिये वाहन उपलब्ध कराने हेतु किया गया। इस अनुबंध की अवधि 01 मई 2017 से 31 मार्च 2018 तक अथवा अगली निविदा होने तक होगी।

द्वितीय पक्षकार श्री डालचन्द, मै0 भारत ट्रेवलिंग एजेंसी, मानिक चौक, अलीगढ़।(सेवा प्रदाता) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु मिशन निदेशक के पत्र संख्या- एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2016-17/01/5487-75, दिनांक- 13.09.2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपद के समस्त ब्लॉकों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रति ब्लॉक 01(एक) एवं जनपद मुख्यालय पर 02(दो) वाहन उपलब्ध करायेगा। द्वितीय पक्षकार को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा-

1- द्वितीय पक्षकार को अनुबंध किये जाने के एक सप्ताह के अन्दर जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।

2- द्वितीय पक्षकार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये वाहन को बदलने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

3- द्वितीय पक्षकार को वाहन माह में न्यूनतम 25 दिन हेतु तथा वाहन टैक्सी परमिट, ईंधन, वाहन चालक एवं जी0पी0एस0 नेवीगेशन सुविधा सहित उपलब्ध कराना होगा, जिस हेतु उसे प्रति वाहन प्रतिमाह रू0 29800-00 (सभी कर सहित) देय होगा। वाहन में न्यूनतम 04(चार) व्यक्तियों के सुगमता से बैठने हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिये।

4- द्वितीय पक्ष को वाहन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/इकाई पर प्रतिदिन 08 घण्टा अथवा चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी के निर्देश अनुसार उपलब्ध कराना होगा।

5- वाहन का आवश्यक रख-रखाव, साफ-सफाई एवं 24 घण्टे चालू हालत में रखने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा। नियमित जाँच/वाहन की सर्विस हेतु वर्क्सशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार द्वारा वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा जिसकी सूचना नियंत्रक अधिकारी को एक दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार पर रू0 1000-00(रू0 एक हजार मात्र) प्रतिदिन प्रतिवाहन की दर से अर्थदण्ड आधिरोपित करने का अधिकार होगा। वाहन की छोटी टूट-फूट की मरम्मत द्वितीय पक्षकार को 24 घण्टे में कराना होगी।

6- वाहन एवं वाहन चालक के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना, वाहन पंजीकरण संख्या, टैक्सी परमिट संख्या/वैधता, वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर द्वितीय पक्षकार को अनुबंध के एक सप्ताह के अन्दर प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

5/11/17
मुख्य 73पज
Saur

7- उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक के पास वैध वाहन चालन लाईसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्षकार को यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक द्वारा प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रण अधिकारी के निर्देशों का पालन किया जायेगा एवं वाहन चालक द्वारा नशे की हालत में वाहन चालन नहीं किया जायेगा, ऐसा पाये जाने पर अथवा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर बंधक राशि को जब्त कर तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने एवं फर्म को ब्लैक लिस्टेड घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा। प्रथम पक्ष पर द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये वाहन चालक का कोई विधिक दायित्व नहीं होगा।

8- पर्यवेक्षण दल/अधिकारी को वाहन के प्रयोग के समय किसी भी प्रकार की हानि के लिये सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, किसी भी दशा में प्रथम पक्ष का इस हेतु कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9- द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन के सापेक्ष भुगतान निर्धारित देयक प्रपत्र/बिल पर वाहन संख्या विवरण तथा लॉग-बुक की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख को प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 कार्य दिवस के अन्दर(बजट उपलब्ध होने की दशा में) अर्थात् प्रत्येक माह की 15वीं तारीख तक किया जायेगा।

10- द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन सेवा संतोषजनक प्रदान नहीं किये जाने पर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

11- यह अनुबंध शासन द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में अथवा उल्लिखित शर्तों के पालन नहीं किये जाने पर अनुबंध अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है।

स्थान- अलीगढ़।

दिनांक- , 2017

हस्ताक्षर..... *Luada* (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर..... *STAN YADU* (द्वितीय पक्ष)

साक्षीगण-

नाम- *शक्ति कुमार* हस्ताक्षर *[Signature]*

नाम- *राहुल गौड़* हस्ताक्षर *[Signature]*

प्रेषक,

अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।


सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: अ०नि०/अली०/एम० एण्ड ई०/2017/9296 (144) दिनांक: 13 दिसम्बर, 2017
विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लिये गये वाहनों की सूचना के सम्बन्ध में।

आपके द्वारा अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लिये गये वाहनों की सूचना राज्य स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अनुबन्धित वाहन की सूचना निर्धारित प्रारूप पर आपकी सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।


Supportive Supervision Vehicle Hiring - Division Level Information 2017-2018						
S.No.	Name of Division	Name of Officer	No. of Vehicle Allotted	No. of Vehicle Hired	Vehicle No.	Date of Vehicle Hiring
01	Aligarh Division	Dr. Madhu Saxena	01	01	UP 81BT 0675	17-10-2013


अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

पत्रांक: अ०नि०/अली०/एम० एण्ड ई०/2017/9296 (144) तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 2- आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
- 3- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
- 4- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, डी०पी०एम०यू०, अलीगढ़।


अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DK 365175

AGREEMENT DEED

This agreement made on 1st April, 2017 BETWEEN M/s G.P. Services, 5/80 Nagla Barola Bypass Road, Aligarh through its proprietor Shri Teekam Singh Suryawnshi (hereinafter called the "Owner") of the one part, AND The Additional Director, Medical Health and Family Welfare, Aligarh Division, Aligarh (hereinafter called the "Hirer") of the other part.

WHEREAS the owner is the sole proprietor of the firm run under the name of G.P. Services, 5/80 Nagla Barola Bypass Road, Aligarh duly registered and having its registered office in Aligarh.

AND WHERE the hirer has agreed to take and the Owner has agreed to let the hire a four wheeler vehicle No. UP 81 BG 0675 on monthly contractual basis for period of about twelve months upto 31st March, 2018 till the Quotation invited.

NOW THIS AGREEMENT WITNESS as follows :-

1. That the hirer shall pay to the owner as the hire of said vehicle the sum of Rs. 30,000/- (Rs. Thirty Thousand Only) at the end of month after submission of bill.
2. That the Hirer shall not do any act or thing where by the said vehicle may be sized or taken under legal process or any other law full authority.
3. That Hirer shall use the said vehicle for the purpose of journey up to 2000 km. in a month for which a sum of Rs. 30,000/- (Rs. Thirty Thousand Only) is to be paid by the Hirer to the Owner. For extra Kilometers an amount of Rs. 10 per km. shall be charged.
4. The Hirer shall pay an amount of Rs. 100/- for night stay of driver.
5. The Owner has to bear the salary of driver, POL expenses, wear & tear of the vehicle, maintenance, taxes, toll tax and all other expenses on the vehicle.
6. The driver shall wear neat and clean dress while on duty and shall not consume alcohol during duty period.

For M/s G.P. SERVICES

अपर विदेशक

एतं परिचय कृतं

7. The vehicle should have taxi permit and all concerned certificates to be deposit prior to the contract.
8. The vehicle will be provided from 8:00 AM sharp to 5:00 PM daily and any time in case of emergency.
9. If vehicle becomes out of order the Owner shall provide another at his own cost and in case of failure to do show the alternative vehicle will be arranged by Hirer and the expenses there of shall deducted from the bill for the said one.
10. The driver of the said vehicle shall keep valid license, insurance papers and other relevant documents of vehicle.
11. The Owner of vehicle shall be fully responsible for safety, security and parking of the vehicle.

IN WITNESS WHEREOF the parties here to have signed this agreement deed at Aligarh in presence of witness on the date and year first above mentioned.

Witnesses :-

1. Shri Shiv Ram Jatav
Sr. Assistant

Signature :-

1.

2. Rishi Pal Singh
S/o Netrapal Singh
Usmanpur, Atroli, Aligarh

Signature :-

2. Rishi Pal Singh

Owner : G.P. Services

Signature :- (Tikam Singh)

Hirer : Additional Director

Medical Health and Family Welfare

Aligarh Division, Aligarh

Signature :- (Dr. Geeta Padhan Chandra)

Dr. Geeta Padhan Chandra
अपर निदेशक
चि० स्वा० एवं परि० क०
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

For M/s G.P. SERVICES



Tikam Singh
Proprietor

mail

GM M & E <menrh@gmail.com>

5

Supportive Supervision Vehicle Information in Aligarh Division

Page


Aligarh <ad.aligarh@gmail.com> Thu, Dec 14, 2017 at 11:43 AM
Mission Director Nrhm <mdupnrhm@gmail.com>, menrh@gmail.com, commali <commali@nic.in>, divpmualigarh <divpmualigarh@gmail.com>, dpm
Aligarh <dpm.aligarh@gmail.com>

R/Sir/madam

Kindly find the attachment regarding above mention subject.

Thanks

ADDITIONAL DIRECTOR
Medical Health & Family Welfare,
Aligarh Division, Aligarh.



SS Vehicle.jpg
177K

✓
updated

प्रेषक,

अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।


सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: अ0नि0/अली0/एम0 एण्ड ई0/2017/9296 (144) दिनांक: 13 दिसम्बर, 2017
विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लिये गये वाहनों की सूचना के सम्बन्ध में।


आपके द्वारा अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लिये गये वाहनों की सूचना राज्य स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अनुबन्धित वाहन की सूचना निर्धारित प्रारूप पर आपकी सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

Supportive Supervision Vehicle Hiring - Division Level Information 2017-2018						
S.No.	Name of Division	Name of Officer	No. of Vehicle Allotted	No. of Vehicle Hired	Vehicle No.	Date of Vehicle Hiring
01	Aligarh Division	Dr. Madhu Saxena	01	01	UP 81BT 0675	17-10-2013


अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

पत्रांक: अ0नि0/अली0/एम0 एण्ड ई0/2017/9296 (144) तददिनांक
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 2- आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
- 3- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
- 4- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0, अलीगढ़।


अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।